



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264194
CG-DL-E-27062025-264194

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]
No. 178]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2025/ आषाढ़ 5, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2025/ ASADHA 5, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून 2025

मामला सं. एडी (ओआई - 19/2025)

विषय: स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'मिथाइल एसीटोएसीटेट' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 6/22/2025- डीजीटीआर.—

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रूप में कहा गया है) ने

निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में कहा गया है) के समक्ष स्विट्जरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मिथाइल एसीटोएसीटेट" (जिसे इसके बाद 'एमएए' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'संबद्ध वस्तु' के रूप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है तथा उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मिथाइल एसीटोएसीटेट है, जिसे "एमएए/ एमएएई/ एएएमई" के रूप में भी कहा जाता है। एमएए का रासायनिक सूत्र $C_5H_8O_3$ है और यह 99% शुद्धता के साथ रंगहीन दिखने वाला एक स्पष्ट तरल है।
4. एमएए एक डाइकेटीन आधारित एस्टर अथवा एसीटो-एसीटेट है। एस्टर की एसिड के साथ प्रतिक्रिया होने से यह अल्कोहल और एसिड के साथ साथ गर्मी छोड़ते हैं। सशक्त ऑक्सीकरण एसिड के कारण एक तेज प्रतिक्रिया हो सकती है जो प्रतिक्रिया उत्पादों को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त रूप से एक्सोथर्मिक है। कास्टिक घोल के साथ एस्टर की परस्पर क्रिया से भी गर्मी उत्पन्न होती है। एस्टर को क्षार धातुओं और हाइड्राइड के साथ मिलाने से ज्वलनशील हाइड्रोजन उत्पन्न होता है।
5. मिथाइल एसीटोएसीटेट का उपयोग प्राथमिक रूप से फार्मास्युटिकल उद्योग, एग्रोकेमिकल उद्योग, पॉलिमर उद्योग और अन्य उद्योगों में एक अभिकारक के रूप में किया जाता है। एमएए का उपयोग फ्लेवरिंग एजेंट और कलरेंट्स के रूप में भी किया जाता है।
6. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उप-शीर्ष 29183040 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तथापि, हालांकि, आवेदक ने दावा किया है कि चीन पीआर से विषय वस्तुओं के आयात पर अपने पिछले निष्कर्षों में अधिकार ने कहा कि संबद्ध वस्तुओं को विभिन्न अन्य कोडों जैसे 29146990, 29153910, 29153940, 29153990, 29183090, 29331990, 29410090 और 29189900 के अंतर्गत भी आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। पाटित किए गए आयात और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध वस्तुएं तथा आवेदक द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, कार्यों अथवा अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही तकनीकी

और व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्थापन करने योग्य हैं। अतः, वर्तमान जाँच के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी का यह मानना है कि दोनों को पाटनरोधी नियमों के तहत "समान वस्तु" के रूप में माना जाना चाहिए। अतः, वर्तमान जाँच के प्रयोजनों के लिए, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तुएं माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

8. वर्तमान जाँच में संबद्ध देश स्विट्जरलैंड है।

घ. जाँच की अवधि

9. वर्तमान जाँच के लिए जाँच की अवधि (पीओआई) जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 (12 माह तक) है और क्षति जाँच की अवधि में अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 और अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक और पीओआई की अवधि शामिल होगी।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

10. यह आवेदन मेसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदन में यह अनुरोध किया गया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक अन्य घरेलू उत्पादक है, जिसका नाम जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड है। बाद में जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड ने अपना समर्थन पत्र प्रस्तुत किया है। यह नोट किया जाता है कि जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है।

11. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक के उत्पादन में भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा शामिल है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि वह संबद्ध देश में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध नहीं है।

12. इसे देखते हुए, उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि यह आवेदन नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है।

च. कथित पाटन का आधार

क. स्विट्जरलैंड के लिए सामान्य मूल्य

13. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वह संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं की तुलनीय कीमतों के संबंध में सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। यह सूचना किसी सार्वजनिक स्रोत से भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी क्योंकि विषय के सामान के प्रतिनिधि मूल्य के संबंध में विषय देश से उपयुक्त देश में निर्यात किया

जाता है। इसे देखते हुए, आवेदक ने सामान्य मूल्य के आधार के रूप में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से शामिल करके उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर स्विटजरलैंड के लिए सामान्य मूल्य प्रदान किया है।

14. जांच की शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, भारत में उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए उचित समायोजन किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

15. आवेदक ने अपनी बाजार सूचना के अनुसार आयातों की मात्रा और कीमत पर विचार करके संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। *प्रथम दृष्टया* आकलन करने के प्रयोजन के लिए, कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम डेटा को अपनाया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, हैंडलिंग शुल्क और अंतर्देशीय बीमा के संबंध में समायोजन किए गए हैं। जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य मौजूद हैं।

ग. पाटन मार्जिन

16. ऊपर उल्लिखित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क (1) (क) के अनुसार पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। यह देखने में आया है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तरों से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

17. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन के कारण हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो कि पूर्ण रूप से पाटित किए गए आयातों की मात्रा में वृद्धि और भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में, कीमत कटौती और घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती के प्रभाव के रूप में है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के कारण आवेदक के प्रदर्शन पर लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकदी लाभ के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस बात के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट और निर्धारित तरीके से दायर किए गए लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध होने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार

पर प्राधिकारी स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने के लिए जांच की शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

19. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत उल्लिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना की प्रस्तुति

20. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते <dir16-dgtr@gov.in> और <dd15-dgtr@gov.in> पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, जिसकी एक प्रति <adv13-dgtr@gov.in> को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्व करने योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में हों। फ़ाइलों तक पहुंच के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

21. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को संबद्ध वस्तुओं से संबंधित माना जाता है, उन्हें नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित फॉर्मेट और निर्धारित तरीके से सभी संगत सूचना दाखिल करने में सक्षम हों।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित फॉर्मेट और निर्धारित तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अपडेट और अवगत रहें।

ट. समय सीमा

24. वर्तमान जांच के संबंध में कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते <dir16-dgtr@gov.in> और <dd15-dgtr@gov.in> पर भेजी जानी चाहिए, जिसकी एक प्रति <adv13-dgtr@gov.in> को उस तिथि से 30 दिनों के

भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस दिन इसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया गया था। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए मांग करने संबंधी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं तथा उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करें।
26. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा तथा ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार, उसके साथ-साथ उसका एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।
28. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली प्रतिक्रिया सहित कोई भी अनुरोध (इसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकार को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता है। यदि अनुरोध कई भागों में किया जाता है, तो प्रत्येक भाग में एक सूचीबद्ध तालिका प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें सभी भागों/ ईमेल और संलग्न दस्तावेजों की सामग्री का उल्लेख किया जाता है। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या देना सुनिश्चित करें।
29. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ सही से अनुदित पाठ प्रदान किया जाए।
30. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। इस तरह के अंकन के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
31. अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें कि गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा रिक्त स्थान दिया गया हो (यदि सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और उस सूचना के आधार पर उसे संक्षेप में प्रस्तुत

किया गया हो जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सारांश को उचित रूप से समझने की अनुमति देने के लिए अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है और उसका सारांश संभव नहीं होने के कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों का अगोपनीय पाठ प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

32. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकता है।
33. गोपनीयता के दावे पर उसके सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा उचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
34. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना के संगत पैरा के अनुसार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तिथि से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
35. प्राधिकारी संतुष्ट होने और प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। प्रश्नावली उत्तर अथवा अन्य अनुरोधों का अगोपनीय पाठ अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में यह गोपनीय आधार पर अनुरोध दाखिल करने के अगले दिन से बाद में नहीं होना चाहिए। अनुरोध/ उत्तर/ सूचना के गोपनीय पाठ को परिचालित करने में विफलता होने के कारण हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जा सकता है।

ड. असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उपयुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से मना करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी द्वारा ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित किया जा सकता है और वह अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्रीय सरकार को यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Trade Remedies)****INITIATION NOTIFICATION**New delhi, the 26th June, 2025**Case No. AD (OI -19/2025)****Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of “Methyl Acetoacetate” originating in or exported from Switzerland.****F. No.6/22/2025- DGTR.—**

1. Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ' Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), M/s Laxmi Organics Industries Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ' Authority'), for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Methyl Acetoacetate” (hereinafter referred to as the ‘MAA’ or 'product under consideration' or 'subject goods'), originating in or exported from Switzerland.
2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating or exported from the subject country and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country.

A. Product under consideration

3. The product under consideration in the present application is Methyl Acetoacetate, also referred to as “MAA/MAAE/AAME”. The chemical formula of MAA is $C_5H_8O_3$ and at 99% purity, it is a clear liquid with a colourless appearance.
4. MAA is a Diketene based Ester or aceto-acetate. Esters react with acids to liberate heat along with alcohols and acids. Strong oxidizing acids may cause a vigorous reaction that is sufficiently exothermic to ignite the reaction products. Heat is also generated by interaction of esters with caustic solutions. Flammable hydrogen is generated by mixing esters with alkali metals and hydrides.

5. Methyl Acetoacetate is used primarily in the Pharmaceutical Industry, Agrochemical Industry, Polymer Industry, and as a reactant in other industries. MAA is also used as a flavouring agent and in colourants.
6. The subject goods are classifiable under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-headings 29183040. However, the applicant has claimed that the Authority in its past findings on imports of the subject goods from China PR noted that the subject goods are imported under various other codes as well. The custom classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the PUC in the present investigation.

B. Like article

7. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable. Hence, for the purposes of the present investigation, the Authority holds that the two should be treated as “like article” under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. Subject country

8. The subject country in the present investigation is Switzerland.

D. Period of Investigation

9. The period of investigation (POI) for the present investigation is January 2024 to December 2024 (12 Months) and the injury investigation period will cover the periods April 2021 to March 2022, April 2022 to March 2023 and April 2023 to March 2024 and the POI.

E. Domestic industry and Standing

10. The application has been filed by M/s Laxmi Organic Industries Limited. It has been submitted in the application that there is another domestic producer of the subject goods in India, namely, Jubilant Ingrevia Limited. Jubilant Ingrevia Limited has subsequently submitted its support letter. It is noted that Jubilant Ingrevia Limited started producing the subject goods during the injury period.

11. As per the information available on record, the production of the applicant accounts for major proportion of the total domestic production of the like article in India. The applicant has submitted that it is not related to any exporter or producer in the subject country.
12. In view of the same, on the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

F. Basis of alleged dumping

a. Normal Value for Switzerland

13. The domestic industry has submitted that it was not able to obtain information on comparable prices of the subject goods in the subject country. This information is also not available from any public source. Further, no information was available as regards the representative price of the subject goods when exported from the subject country to appropriate country. In view of the same, the applicant has provided normal value for Switzerland based on facts available, having regard to the cost of production in India, with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits as the basis for normal value.
14. For the purpose of initiation, the normal value has been determined based on facts available considering cost of production in India, duly adjusted for addition of selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

b. Export Price

15. The applicant has determined the export price for the subject country by considering the volume and value of imports as per its market intelligence. However, for the purpose of the *prima facie* assessment, DG systems data has been adopted for ascertaining ex-factory export price. Adjustments on account of ocean freight, marine insurance, bank charges, port expenses, handling charges and inland insurance have been made. There is sufficient *prima facie* evidence with respect to export price to justify the initiation of the investigation.

c. Dumping Margin

16. Considering the normal value and export price as elaborated above, the dumping margin has been determined, in accordance with Section 9A(1)(a) of the Customs Tariff Act. It is seen that the dumping margin is not only above the de minimis levels, but also significant.

G. Injury and causal link

17. The information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury suffered as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production or consumption in India, price undercutting and price depressing effect on the domestic industry. The performance of the applicant has been adversely impacted in respect of profitability, return on investment and cash profits, as a result of the increase in imports of the PUC. There is sufficient *prima facie* evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject country.

H. Initiation of anti-dumping investigation

18. On the basis of written application filed in the form and manner prescribed by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry pertaining to dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Procedure

19. Principles, as stated under Rule 6 of the AD Rules, shall be followed in the present investigation.

J. Submission of Information

20. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses <dir16-dgtr@gov.in> and <dd15-dgtr@gov.in> with a copy to <adv13-dgtr@gov.in>. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS-Word format and data files are in MS-Excel format. Submissions requiring special software to access the files will not be accepted.
21. The known producers/ exporters in the subject country, the government of the subject country through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed

within the time limits set out below.

22. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other parties.
23. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well further processes related to the investigation.

K. Time Limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses <dir16-dgtr@gov.in> and <dd15-dgtr@gov.in> with a copy to <adv13-dgtr@gov.in> within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
26. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. Submission of Information of Confidential basis

27. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the AD Rules. Failure to adhere to the above may lead to the rejection of the response / submissions.

28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately. In case, the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.
29. Where the original documents are in a language other than Hindi and English, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents.
30. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties may offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the documents.
32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality

claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents in terms of relevant paragraphs of this initiation notification.

35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

36. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. The non-confidential version of the questionnaire response or other submissions should preferably be circulated to all other interested parties on the same day and, in no case, later than the day following the filing of submissions on a confidential basis. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/responses/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

N. Non-Cooperation

37. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority